

01.01.2017 से प्रभावी एनएचडीसी लिमिटेड की वेतन संरचना

| कर्मचारी | | पर्यवेक्षक | | अधिकारी | |
|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| श्रेणी कोड | वेतनमान | श्रेणी कोड | वेतनमान | श्रेणी कोड | वेतनमान |
| डब्ल्यु-0 | 19500-3%-57500 | एस -1 | 29600-3%-119500 | ई-0 | 30000-120000 |
| डब्ल्यु-1 | 22000-3%-68000 | एस -2 | 29700-3%-119600 | ई-1 | 40000-140000 |
| डब्ल्यु-2 | 23000-3%-72000 | एस -3 | 29800-3%-119700 | ई-2 | 50000-160000 |
| डब्ल्यु-3 | 24000-3%-74000 | एस -4 | 29900-3%-119900 | ई-3 | 60000-180000 |
| डब्ल्यु-4 | 25000-3%-85000 | | | ई-4 | 70000-200000 |
| डब्ल्यु-5 | 26000-3%-100000 | | | ई-5 | 80000-220000 |
| डब्ल्यु-6 | 27000-3%-105000 | | | ई-6 | 90000-240000 |
| डब्ल्यु-7 | 28000-3%-108000 | | | ई-7 | 100000-260000 |
| डब्ल्यु-8 | 28500-3%-118000 | | | ई-8 | 120000-280000 |
| डब्ल्यु-9 | 29000-3%-119000 | | | ई-9 | 150000-300000 |
| डब्ल्यु-10 | 29500-3%-119400 | | | | |

वेतनवृद्धियां :

| निम्नांकित तारीखों के बीच नियुक्त/पदोन्नति कर्मचारी | वेतनवृद्धि की मानक तिथि |
|---|-------------------------|
| 1 जनवरी एवं 30 जून | 1 जनवरी |
| 1 जुलाई एवं 31 दिसंबर | 1 जुलाई |

पहली वेतनवृद्धि उस महीने की 01 तारीख को दी जायेगी, जिस महीने में परिवीक्षा अवधि पूर्ण की हो।

महंगाई भत्ता :

महंगाई भत्ते की किस्तें वर्ष में चार बार, 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर से, जारी की जायेगी। प्रतिशत

कैफेटेरिया :

लाभ एवं भत्ते दिनांक 01.01.2017 से लागू संशोधित वेतनमान के 35 प्रतिशत की सीमा तक कैफेटेरिया का हिस्सा होंगे।

नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) :

डॉक्टरों को मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जायेगा।

मकान किराया भत्ता:

| शहरों/कस्बों का संशोधित वर्गीकरण | मकान किराये भत्ते की संशोधित दरें (संशोधित मूल वेतन % दरें) |
|--|--|
| एक्स (जिसे पहले ए-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया था) | 27% |
| वाई (जिसे पहले ए, बी-1 और बी-2 के रूप में वर्गीकृत किया गया था) | 18% |
| जेड (जिसे पहले सी और गैर वर्गीकृत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था) | 9% |

शहरों/कस्बों का संशोधित वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा किया गया है।